बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– DOH/SS/15/2025-बा०वा०उम० 2160-19- 101- /पटना दिनांक 28.07. 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : **वित्त विभाग।**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से मशरूम अवयवों (मशरूम किट एवं मशरूम हट) की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1396.750 लाख (तेरह करोड़ छियानवें लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से मशरूम अवयवों (मशरूम किट एवं मशरूम हट) की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1396.750 लाख (तेरह करोड़ छियानवे लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मशरूम किट उपलब्ध कराकर तथा मशरूम हट में मशरूम के उत्पादन द्वारा मशरूम की खेती को बढ़ावा देते हुए उनके आय में वृद्धि करना है। योजना के कार्यान्वयन से ग्रामीण बेरोजगार पुरूष एवं महिलाओं के बीच स्वरोजगार उत्पन्न होगा एवं बाजार में पूर्व से उपलब्ध उद्यमियों के माँग के अनुरूप मशरूम का उत्पादन होगा एवं तद्नुरूप इसे बाजार में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3. योजना का घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–1 (Annexure-1) के रूप में संलग्न है।

4. इस योजना का घटकवार विवरण निम्नवत् है :–

4.1 **पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट** :– इस घटक अन्तर्गत किसानों को पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट माँग अनुरूप अनुदानित दर पर दिया जायेगा। पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट हेतु इकाई लागत 75/- रूपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान अर्थात् प्रति किट 67.50/- रू० अनुदान दिया जाएगा। पैडी/आयेस्टर मशरूम किट का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इस घटक अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 25 किट एवं अधिकतम 100 किट का लाभ दिया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–2 (Annexure-2) के रूप में संलग्न है।

4.2 **बटन मशरूम किट** :– इस घटक अन्तर्गत किसानों को बटन मशरूम किट माँग अनुरूप अनुदानित दर पर दिया जायेगा। बटन मशरूम किट हेतु इकाई लागत 90/- रूपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान अर्थात् प्रति किट 81/- रू० अनुदान दिया जाएगा। बटन मशरूम किट का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इस घटक अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 25 किट एवं अधिकतम 100 किट का लाभ दिया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–2 (Annexure-2) के रूप में संलग्न है।

4.3 **बकेट मशरूम किट** :– इस घटक अन्तर्गत किसानों को बकेट मशरूम किट माँग अनुरूप अनुदानित दर पर दिया जायेगा। बकेट मशरूम किट हेतु इकाई लागत 300/- रूपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान अर्थात् प्रति किट 270/- रू० अनुदान दिया जाएगा। बकेट मशरूम किट का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इस घटक अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 02 किट एवं अधिकतम 10 किट का लाभ दिया जायेगा। पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट अथवा बटन मशरूम किट के लाभुक भी इस घटक का लाभ ले सकेंगे। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–2 (Annexure-2) के रूप में संलग्न है।

4.4 **झोपड़ी में मशरूम** :– इस घटक अन्तर्गत किसानों को मशरूम उत्पादन हेतु कृषकों को झोपड़ी निर्माण के लिए अनुदान दिया जायेगा। झोपड़ी निर्माण हेतु इकाई लागत 1,79,500/- रूपये है, जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात् प्रति झोपड़ी निर्माण हेतु 89,750/- रू० अनुदान दिया जाएगा। झोपड़ी में मशरूम का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इस घटक अन्तर्गत प्रति कृषक अधिकतम 01 (एक) झोपड़ी का लाभ दिया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–2 (Annexure-2) के रूप में संलग्न है।

मशरूम उत्पादन हेतु कृषकों द्वारा योजना अनुसार 1500 वर्गफीट में झोपड़ी का निर्माण किया जाना है। झोपड़ी निर्माण हेतु तकनीकि स्वीकृति अनुसूची–4 (Annexure-4) के रूप में संलग्न है। झोपड़ी निर्माण उपरान्त सभी घटक स्ट्रॉ, स्पॉन एवं पॉली बैग, टूल्स एवं अन्य सामग्री भी कृषकों को योजना का लाभ लेने हेतु लेना अनिवार्य होगा। योजना कार्यान्वयन सहायक निदेशक उद्यान की देख–रेख में किया जायेगा। बाद के वर्षो में कृषकों द्वारा यथा आवश्यक मरम्मति एवं अन्य आकस्मिकता हेतु स्वयं राशि का वहन किया जायेगा, ताकि योजना Self Sustainable हो सके।

झोपड़ी के Layout Plan के अनुसार Thatch House के निर्धारित मॉडल का निर्माण कृषक द्वारा कराया जायेगा। ऐसे सभी निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं इसकी जाँच जिला के सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा किया जायेगा। साथ ही सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा अनुसूची–3 (Annexure-3) के अनुरूप कार्य को प्रमाणित करने के उपरान्त ही अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।

4.5 **प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– इस घटक अन्तर्गत किसानों को मशरूम उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक किसानों को जिलावार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजनान्तर्गत आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. मशरूम किट वितरण हेतु कम्पनियों/फर्मों के चयन संबंधित निविदा में नियमानुसार स्थानीय कम्पनियों/फर्मों को प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम दर पर उनका पंजीकरण कराया जाएगा, जिससे उनकी क्षमता अनुरूप जाँचोपरान्त जिलावार कार्य हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा।

6. जिलावार आवंटित लक्ष्य की उपलब्धि ससमय नहीं होने पर इसे माँग अनुरूप राज्य के अन्य जिलों में निदेशक उद्यान के द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा।

7. इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े आदि संधारित करेंगे।

8. योजनान्तर्गत कार्य घटकों के लिए निर्धारित इकाई लागत की राशि युनिट कॉस्ट कमिटि की कार्यवाही दिनांक 26.05.2025 के द्वारा स्वीकृत है। वास्तविक इकाई लागत राशि एवं आपूर्तिकर्त्ता का चयन बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में करते हुए योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. इस योजनान्तर्गत 10500 मानव दिवस सृजित होने की सम्भावना है।

10. विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। साथ ही विज्ञापन की प्रति सभी जिलों में स्थापित जिला उद्यान कार्यालयों/प्रखंड विकास कार्यालयों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित कराये जायेंगे, ताकि कृषकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे सभी कृषकों को विभाग के Portal पर निबंधित होना अनिवार्य होगा।

11. योजना का लाभ DBT Portal पर पंजीकृत इच्छुक किसानों को ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से **'पहले आओ पहले पाओ'** के आधार पर दिया जाएगा।

12. योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अलग से निर्गत किया जायेगा।

13. इस योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएं मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

14. योजनान्तर्गत 78.537 : 20 : 1.463 के अनुपात में कोटिवार लाभुकों को चयन किया जायेगा। सभी कोटि में 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दिया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–5 के अनुसार संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC-25 पर CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

16. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

17. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

18. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401001190101, विषय शीर्ष 0101–33–01 सब्सिडी।	19084.4910	1096.96555
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष–0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007890130, विषय शीर्ष 0130–33–01 सब्सिडी।	4860.0000	279.35000

मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007960152, विषय शीर्ष 0152–33–01 सब्सिडी।	355.5090	20.43445
योग	**24300.0000**	**1396.75000**
उद्यान निदेशालय के पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

19. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्र संख्या–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–04.07.2025 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– DOH/SS/15/2025 के पृष्ठ संख्या–25/टि० पर दिनांक–25.07.2025 को प्राप्त है।

20. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

21. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– DOH/SS/15/2025 के पृष्ठ संख्या–23/टि० पर दिनांक–18.07.2025 को प्राप्त है, जिसकी डायरी संख्या–576 दिनांक–18.07.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/SS/15/2025- पी०पी०एम० आस्था-19-101- /पटना दिनांक 28.07. 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/SS/15/2025- पी०पी०एम० आस्था-19-101- /पटना दिनांक 28.07. 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/SS/15/2025- पी०पी०एम० आस्था-19-101 /पटना दिनांक 28.07. 2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/SS/15/2025- पी० पी० एम० शाखा-19-101-/पटना दिनांक 28.07. 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना एवं संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/SS/15/2025- पी० पी० एम० शाखा-19-101- /पटना दिनांक 28.07. 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि विपणन, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य)/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/SS/15/2025- पी० पी० एम० शाखा-19-101-/पटना दिनांक 28.07. 2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Annexure-1

Annual Action Plan of Mushroom's Components Scheme (2025-26)

Sl. No.	Component	Unit Cost (in Lakh)	Subsidy % age	Unit Subsidy Cost	Physical Target (in nos.)	Financial Target (in Lakh)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Mushroom Kit**					
a	Paddy/Oyester Mushroom Kit	0.00075/Kit	90	0.000675	400000	270.000
b	Button Mushroom Kit	0.00090/Kit	90	0.00081	600000	486.000
c	Mushrom in Bucket	0.003/Bucket	90	0.0027	50000	135.000
2	**Mushroom Hut**	1.79500/Hut	50	0.8975	500	448.750
3	**Training Programme**					
a	General	0.01/farmer			3800	38.000
b	Sc/St	0.01/farmer			1900	19.000
Total					**1056200**	**1396.750**

PV

(तृप्ति गुप्ता)

(अभिषेक कुमार)

Lette. .. 21.02.2024

Annexure-2

Physical Target in Mushroom's Components Scheme FY 2025-26

(Phy. In no's & Fin. In Lakh Rs.)

Sl. No.	Distirct	Paddy/Oyester Mushroom Kit		Button Mushroom Kit		Mushroom in Bucket		Mushroom Hut		Training Programme				Total	
										General		Sc/St			
		Phy Target	Fin. Target	Phy Target	Fin. Target	Phy Target	Fin. Target	Phy Target	Fin. Target	Phy Target	Fin. Target	Phy Target	Fin. Target	Phy Target	Fin. Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Araria	10000	6.75000	15000	12.15000	1000	2.70000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**26160**	**32.07500**
2	Arwal	7500	5.06250	10000	8.10000	1000	2.70000	5	4.48750	100	1.00000	50	0.50000	**18655**	**21.85000**
3	Aurangabad	10000	6.75000	15000	12.15000	1000	2.70000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**26165**	**36.56250**
4	Banka	10000	6.75000	15000	12.15000	1000	2.70000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**26160**	**32.07500**
5	Begusarai	10000	6.75000	18000	14.58000	1000	2.70000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**29165**	**38.99250**
6	Bhagalpur	12500	8.43750	18000	14.58000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**32165**	**42.03000**
7	Bhojpur	10000	6.75000	15000	12.15000	1000	2.70000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**26165**	**36.56250**
8	Buxar	10000	6.75000	15000	12.15000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**26665**	**37.91250**
9	Darbhanga	12500	8.43750	18000	14.58000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**32165**	**42.03000**
10	Gaya	12000	8.10000	19000	15.39000	1500	4.05000	20	17.95000	100	1.00000	50	0.50000	**32670**	**46.99000**
11	Gopalganj	11500	7.76250	15000	12.15000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**28165**	**38.92500**
12	Jamui	10000	6.75000	16000	12.96000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**27665**	**38.72250**
13	Jehanabad	10000	6.75000	15000	12.15000	1000	2.70000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**26165**	**36.56250**
14	Kaimur	10000	6.75000	12000	9.72000	1000	2.70000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**23160**	**29.64500**
15	Katihar	10000	6.75000	17000	13.77000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**28665**	**39.53250**
16	Khagaria	8500	5.73750	14000	11.34000	1000	2.70000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**23665**	**34.74000**
17	Kishanganj	7500	5.06250	12000	9.72000	1000	2.70000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**20665**	**32.44500**
18	Lakhisarai	9500	6.41250	12000	9.72000	1000	2.70000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**22660**	**29.30750**
19	Madhepura	10000	6.75000	16000	12.96000	1500	4.05000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**27660**	**34.23500**
20	Madhubani	11500	7.76250	17000	13.77000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**30165**	**40.54500**
21	Munger	8500	5.73750	12000	9.72000	1000	2.70000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**21665**	**33.12000**
22	Muzaffarpur	11500	7.76250	18000	14.58000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**31165**	**41.35500**
23	Nalanda	11500	7.76250	18000	14.58000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**31165**	**41.35500**
24	Nawada	10000	6.75000	15000	12.15000	1500	4.05000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**26660**	**33.42500**
25	West Champaran	13000	8.77500	20000	16.20000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**34665**	**43.98750**
26	Patna	13000	8.77500	20000	16.20000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**34665**	**43.98750**
27	East Champaran	12500	8.43750	19000	15.39000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**33165**	**42.84000**
28	Purnia	11500	7.76250	18000	14.58000	1500	4.05000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**31160**	**36.86750**
29	Rohtas	10000	6.75000	15000	12.15000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**26665**	**37.91250**
30	Saharsa	10000	6.75000	15000	12.15000	1500	4.05000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**26660**	**33.42500**
31	Samastipur	13000	8.77500	20000	16.20000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**34665**	**43.98750**
32	Saran	11500	7.76250	17000	13.77000	1500	4.05000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**30160**	**36.05750**
33	Sheikhpura	7500	5.06250	10000	8.10000	1000	2.70000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**18660**	**26.33750**
34	Sheohar	7500	5.06250	10000	8.10000	1000	2.70000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**18660**	**26.33750**
35	Sitamarhi	11500	7.76250	17000	13.77000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**30165**	**40.54500**
36	Siwan	11500	7.76250	17000	13.77000	1500	4.05000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**30160**	**36.05750**
37	Supaul	10000	6.75000	15000	12.15000	1500	4.05000	10	8.97500	100	1.00000	50	0.50000	**26660**	**33.42500**
38	Vaishali	13000	8.77500	20000	16.20000	1500	4.05000	15	13.46250	100	1.00000	50	0.50000	**34665**	**43.98750**
	Total	**400000**	**270.00000**	**600000**	**486.00000**	**50000**	**135.00000**	**500**	**448.75000**	**3800**	**38.00000**	**1900**	**19.00000**	**1056200**	**1396.75000**

(तृप्ति गुप्ता)

(अभिषेक कुमार)

Annexure-3

Assistance for Mushroom Cultivation round of the year under natural condition (50% Subsidy)

(Rs. in Lakh)				
Unit Cost				
Sl. No.	**Item**	**Area/Quantity**	**Cost in lakh**	**Subsidy (@50%)**
1	Construction of thatch house (hut)	1500 sqft. (Technical Sanction attached)	0.995	0.4975
2	Straw	75 quintal	0.45	0.225
3	Spawn and poly bag etc.	L.S.	0.20	0.100
4	Tools and equipments	L.S.	0.10	0.050
5	miscellaneous	L.S.	0.05	0.025
Total			**1.795**	**0.8975**
For 500 unit			**897.500**	**448.750**

(तृप्ति गुप्ता) (अभिषेक कुमार)

Annexure- 4

Estimate for Construction of Proposed Bamboo Hut for Mushroom Production at Dr. RPCAU, Pusa
(Size- 30'-0" x 50'-0")

1. Cost of Bamboo required for Vertical Post, Gate support, Frame, Roof Purlin & Rafter, racking, in making frame for Ikari wall including cost of cutting, carriage to work site etc.
   Qnty :- 200 Nos @ Rs 250.00 Each — Rs 50000.00

2. Cost of Ikari, grass thaching (Khar) including carriage for wall & roof. — Rs 25000.00

3. Cost of Polythene sheet for roofing, nails GI wire, ropes etc. mislenious items — Rs 5000.00

4. Cost of R.C.C. Pillar 3Nos for middle support
   3Nos @ Rs 2000.00 Each — Rs 6000.00

5. Labour Charge for making Bamboo Hut with Ikari wall & roof
   1 Job @ Rs 13500.00 — Rs 13500.00

Rs 99500.00

S. K. Sinha
14/6/18
Junior Engineer
Dr. R.P.C.A.U. Pusa

Technically sanctioned amounting to Rs 99,500.00 (Ninety nine thousand five hundred) Rs only

[signature]
14/6/18
A. E. (C)
Dr. R.P.C.A.U. Pusa

(तनित [illegible]) (नितेश कुमार राय) (अभिषेक कुमार)

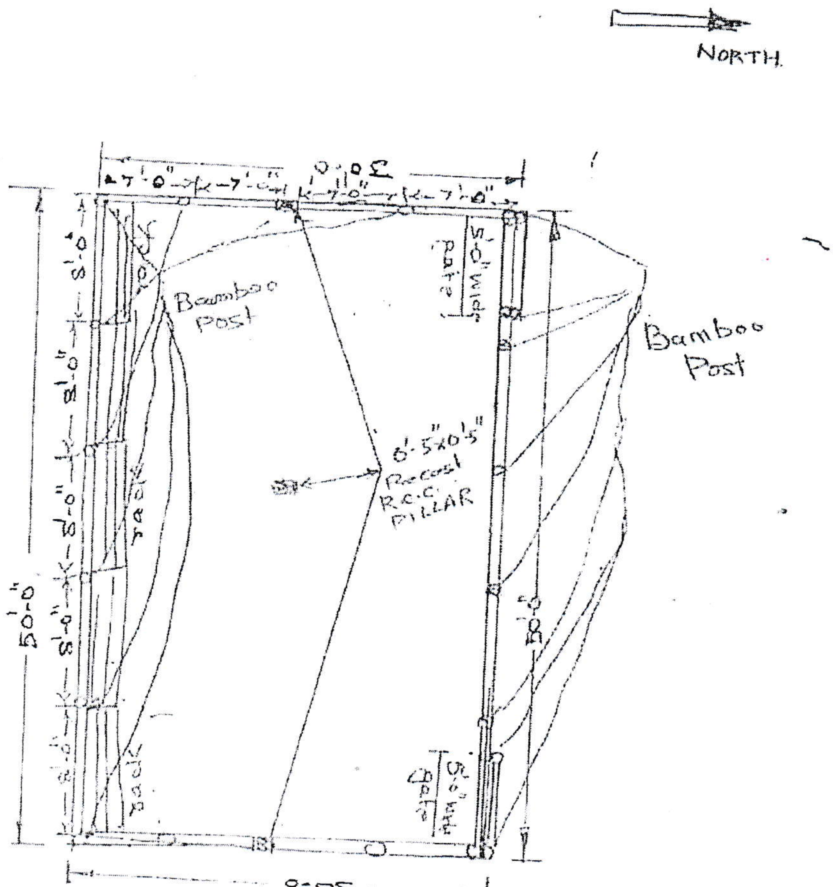

PLAN OF PROPOSED MASHROOM HUT AT DR. R.P.C.A.U. PUSA

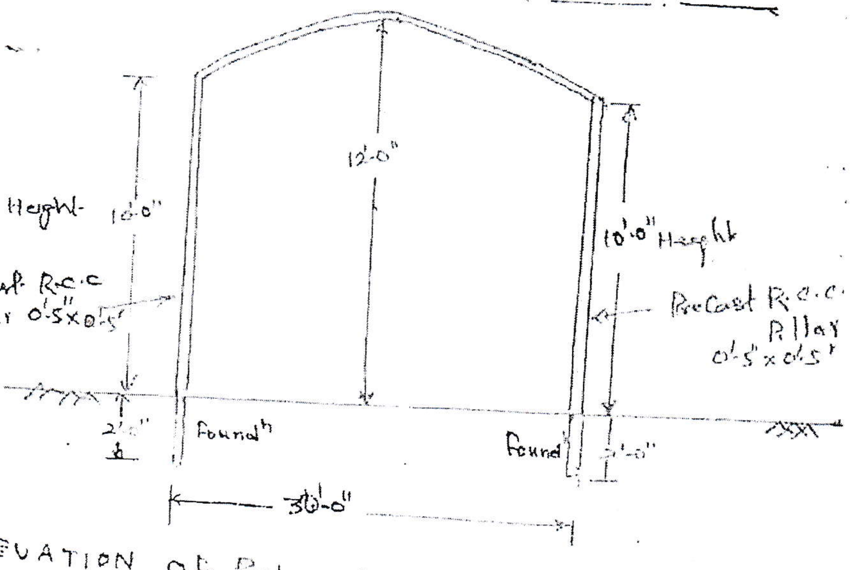

SIDE ELEVATION OF Proposed MASHROOM HUT AT DR.R.P.C.A.U. Pusa

11/6/15
J.E.
Dr. R.P.C.A.U. Pusa

(तृप्ति गुप्ता) (नितेश कुमार राय) (अभिषेक कुमार)

(अनुसूची –5)

वि... वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तहत् मशरूम अवयवों की योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण (लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति (@78.537)	अनुसूचित जाति (@20.00)	अनुसूचित जनजाति (@1.463)	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	25.19074	6.41500	0.46926	32.07500
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	17.16033	4.37000	0.31967	21.85000
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	28.71509	7.31250	0.53491	36.56250
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	25.19074	6.41500	0.46926	32.07500
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय	30.62354	7.79850	0.57046	38.99250
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	33.00910	8.40600	0.61490	42.03000
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	28.71509	7.31250	0.53491	36.56250
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	29.77534	7.58250	0.55466	37.91250
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	33.00910	8.40600	0.61490	42.03000
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	36.90454	9.39800	0.68746	46.99000
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	30.57053	7.78500	0.56947	38.92500
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	30.41149	7.74450	0.56651	38.72250
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	28.71509	7.31250	0.53491	36.56250
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	23.28229	5.92900	0.43371	29.64500
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	31.04764	7.90650	0.57836	39.53250
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	27.28375	6.94800	0.50825	34.74000
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	25.48133	6.48900	0.47467	32.44500
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	23.01723	5.86150	0.42877	29.30750
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	26.88714	6.84700	0.50086	34.23500
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	31.84283	8.10900	0.59317	40.54500
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	26.01146	6.62400	0.48454	33.12000
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	32.47898	8.27100	0.60502	41.35500
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	32.47898	8.27100	0.60502	41.35500
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	26.25099	6.68500	0.48901	33.42500
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिमी चम्पारण	34.54646	8.79750	0.64354	43.98750
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	34.54646	8.79750	0.64354	43.98750
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	33.64525	8.56800	0.62675	42.84000
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	28.95463	7.37350	0.53937	36.86750
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	29.77534	7.58250	0.55466	37.91250
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	26.25099	6.68500	0.48901	33.42500
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	34.54647	8.79750	0.64353	43.98750
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	28.31848	7.21150	0.52752	36.05750
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	20.68468	5.26750	0.38532	26.33750
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	20.68468	5.26750	0.38532	26.33750
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	31.84283	8.10900	0.59317	40.54500
36	सहायक निदेशक उद्यान, सिवान	28.31848	7.21150	0.52752	36.05750
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	26.25099	6.68500	0.48901	33.42500
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	34.54647	8.79750	0.64353	43.98750
	कुल	**1096.96555**	**279.35000**	**20.43445**	**1396.75000**

(तेरह करोड़ छियानवें लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र)